रजिस्टर्ड नं० एल० [illegible]

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, रविवार, 2 सितम्बर, 1973

भाद्रपद 11, 1895 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग – 1

संख्या 2030/सत्रह—वि०—1—85-73

लखनऊ, 2 सितम्बर, 1973

विज्ञप्ति

विविध

दिनांक 2 सितम्बर, 1973 को अधिनियमित निम्नलिखित राष्ट्रपति अधिनियम को सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1973

(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 12, 1973)

[भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित]

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम

1—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1973 है।

1959 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 2 में नई धारा 8क का अन्तःस्थापन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई महापालिका के गठन तक महापालिका के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

"8—(1) जहां महापालिका का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो गया है तथा नई महापालिका का गठन नहीं हुआ है वहां धारा 9 के अधीन नई महापालिका का सम्यक् रूप से गठन किए जाने तक,—

(क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ट सदस्य और धारा 95 तथा 97 के अधीन गठित या नियुक्त समस्त

विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप समितियों के सदस्य तथा महापालिका का मुख्य नगर अधिकारी, अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त विशेष समितियां, संयुक्त समितियां और उप-समितियां विघटित हो जाएंगी;

(ख) महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा धारा 8 के खण्ड (ङ) के अधीन नियुक्त अन्य समितियों की तथा मुख्य नगर अधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रशासक कहा गया है) निहित हो जाएंगे और उनका प्रयोग, अनुपालन तथा निर्वहन उसके द्वारा किया जाएगा, तथा प्रशासक को विधि की दृष्टि में महापालिका, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समितियां अथवा मुख्य नगर अधिकारी समझा जाएगा, जैसा अवसर हो;

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में—

(i) उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से गठित समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा; अथवा

(ii) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी व्यक्ति अथवा उपखंड (i) के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(घ) प्रशासक का वेतन और भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किए जाएं, महापालिका की निधि से दिए जाएंगे।

(2) नई महापालिका के गठन के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक निर्वाचन, उपधारा (1) के अधीन प्रशासक की नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किए जाएंगे :

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उक्त अवधि को विस्तारित कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा विस्तार कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक हो।"

निरसन और व्यावृत्ति।

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई भी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन वैसे ही की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम 12 जून, 1973 को प्रारम्भ हो गया था।

वाराह गिरि वेंकट गिरि,
राष्ट्रपति।

के० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार।

अधिनियमित किये जाने के कारण

चार नगर महापालिकाओं का, अर्थात् लखनऊ, वाराणसी, कानपुर तथा आगरा की नगरपालिकाओं का, कार्यकाल 30 जून, 1973 को समाप्त होने वाला था। नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कक्षों का परिसीमन समय के भीतर पूरा न हो सकने के कारण इन महापालिकाओं के निर्वाचन नहीं किए जा सके। यह उचित नहीं समझा गया था कि इन महापालिकाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में ऐसी महापालिका के प्रशासन के लिए, कोई उपबन्ध नहीं है जिसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और बढ़ाया नहीं गया है। उस प्रभाव का उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया था कि जब महापालिका का कार्यकाल अथवा बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो जाए और नयी महापालिका गठित नहीं हुई हो, तब धारा 9 के अधीन नई महापालिका का सम्यक् रूप से गठन होने तक, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद्, विशिष्ट सदस्य, तथा अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन गठित अथवा नियुक्त समस्त विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप-समितियों के सदस्य तथा महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी अपना पद रिक्त कर देंगे और ऐसी समस्त विशेष समितियां, संयुक्त समितियां तथा उप-समितियां विघटित हो जाएंगी और यह कि महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, तथा अन्य समितियों की सब शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक में निहित हो जाएंगे और उनका प्रयोग, अनुपालन और निर्वहन उसके द्वारा किया जाएगा।

2—राज्य विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था अतः पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए 12 जून, 1973 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1973 प्रख्यापित किया गया था। प्रस्थापित अधिनियम उक्त अध्यादेश का स्थान ग्रहण करने के लिए है।

3—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 (1973 का 33) की धारा 3 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन गठित समिति से इस विधान को राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में अधिनियमित करने के पहले परामर्श कर लिया गया है।

ए०एन० किदवई,
सचिव, भारत सरकार,
वर्क्स तथा हाउसिंग मंत्रालय।

No. 2980(2)/XVII-V-1—85-73
Dated Lucknow, September 2, 1973

The following President's Act enacted on September 2, 1973, is published for general information :

THE UTTAR PRADESH NAGAR MAHAPALIKAS (AMENDMENT) ACT, 1973

(PRESIDEN'S ACT No. 12 OF 1973)

(Enacted by the President in the Twenty-Fourth Year of the Republic of India)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959

IN exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973, the President is pleased to enact as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Nagar Mahapalikas (Amendment) Act, 1973.

Insertion of new section 8-A in U. P. Act II of 1959.

2. *After* section 8 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, the following section shall be *inserted,* namely :

"8-A. (1) Where the term or the extended term of the Mahapalika has expired and a new Mahapalika has not been constituted, then until the due constitution of the new Mahapalika under section 9—

Temporary provisions regarding administration of Mahapalika until a new Mahapalika is constituted.

(*a*) notwithstanding anything in this Act, the Nagar Pramukh, the Upa Nagar Pramukh, the Sabhasads, the Vishishta Sadasyas and the members of all Special Committees, Joint Committees and Sub-Committees constituted or appointed under sections 95 and 97 and the Mukhya Nagar Adhikari of the Mahapalika shall vacate their respective offices, and all such Special Committees, Joint Committees and Sub-Committees shall stand dissolved ;

(*b*) all powers, functions and duties of the Mahapalika, its Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh, Executive Committee, Development Committee and other Committees appointed under clause (*e*) of section 5 and of the Mukhya Nagar Adhikari shall be vested in and be exercised, performed and discharged by an officer appointed in that behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator), and the Administrator shall be deemed in law to be the Mahapalika, the Nagar Pramukh, the Upa Nagar Pramukh, Executive Committee, Development Committee or other Committees, or the Mukhya Nagar Adhikari as the occasion may require ;

(*c*) subject to any general or special orders of the State Government Administrator may, in respect of all or any of the powers conferred on him by clause (*b*),—

(i) consult such Committee or other body, if any, constituted in such manner as may be specified by him in that behalf ; or

(ii) delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the powers so conferred, to any person or to any committee or other body constituted under sub-clause (i), to be specified by him in that behalf ;

(*d*) such salary and allowances of the Administrator as may be fixed by general or special orders of the State Government in that behalf shall be paid out of the Mahapalika Fund.

(2) Necessary elections shall be held in accordance with the proviisons of this Act for the constitution of the new Mahapalika within a period of one year from the date of appointment of the Administrator under sub-section (1) :

Provided that the State Government may from time to time, by Order published in the official *Gazette*, extend the said period, so, however, that such extension does not in the aggregate exceed one year.".

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Nagar Mahapalikas (Amendment) Ordinance, 1973, is hereby repealed. U.P. Ordinance 3 of 1973.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had commenced on the 12th day of June, 1973.

V. V. GIRI,
President.

K. K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India.

REASONS FOR THE ENACTMENT

THE term of four Nagar Mahapalikas, namely, those of Lucknow, Varanasi, Kanpur and Agra, was to expire on June 30, 1973. Elections to these Mahapalikas could not take place because delimitation of wards in accordance with the latest census figures could not be completed in time. It was not considered proper in public interest to extend the term of these Mahapalikas. There existed no provision in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, for the administration of a Mahapalika, the term of which expires and is not extended. It was considered necessary to make a provision to the effect that where the term or the extended term of a Mahapalika expires and a new Mahapalika is not constituted, then, until the due constitution of the new Mahapalika, under section 9, the Nagar Pramukh, the Upa Nagar Pramukh, the Sabhasads, the Vishishta Sadasyas and the members of all Special Committees, Joint Committees and Sub-Committees, constituted or appointed under the relevant provisions of the Act and the Mukhya Nagar Adhikari of the Mahapalika shall vacate their offices and all such Special Committees, Joint Committees and Sub-Committees, shall stand dissolved and that all powers, functions and duties of the Mahapalika, its Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh, Executive Committee, Development Committee and other Committees shall be vested and be exercised, performed and discharged by an Administrator appointed by the State Government.

2. As the State Legislature was not in session the Uttar Pradesh Nagar Mahapalikas (Amendment) Ordinance, 1973, was promulgated by the Governor on 12th June, 1973, for the above purpose. The proposed measure seeks to replace the said Ordinance.

3. The Committee constituted under the proviso to sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973 (33 of 1973), has been consulted before the enactment of this measure as a President's Act.

A. N. KIDWAI,

Secretary to the Government of India,
Ministry of Works and Housing.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 171 गजट (हिन्दी)—1973—2050+150 (मे०)